



स्पाइसेस बोर्ड  
भारत

जन संपर्क एजेंसी के चयन के लिए निविदा

संदर्भ सं: प्रचार-मुद्रण/0002/2020-प्रचार

दिनांक : 15-03-2021

एमएसटीसीएल निविदा संदर्भ : SPICEB/20-21/ET/7

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन

एन.एच. बैपास, पालारिवट्टम पी.ओ.

कोच्ची-682025, केरल, भारत

फोन : 91-484-2333615

इ-मेल : [publicity.sb-ker@gov.in](mailto:publicity.sb-ker@gov.in)

वेबसाइट : [www.indianspices.com](http://www.indianspices.com)

विषय वस्तु

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	3
2	जन संपर्क एजेंसी के चयन के लिए निविदा	
3	कार्य की गुंजाइश	
4	निर्दिष्टीकरण की अवधि	
5	न्यूनतम पात्रता मानदंड	
6	बोली के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	
7	बोलियां प्रस्तुत करना	
8	बोलियों का मूल्यांकन	
9	वित्तीय बोलियों का खोला जाना और अंतिम चयन	
10	शुल्क और अन्य प्रभार	
11	निबंधन और शर्तें	
12	अस्वीकरण	
13	निविदा की महत्वपूर्ण तिथियां	
14	अनुबंध	
	अनुबंध-1 : तकनीकी बोली	
	अनुबंध-2 : वित्तीय बोली	
	अनुबंध-3 : घोषणा	

## 1. प्रस्तावना

स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) भारतीय मसालों के विकास और उनके दुनिया भर में प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख संगठन है। बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेश में आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है। बोर्ड भारतीय मसालों की उत्कृष्टता के लिए विभिन्न क्रियाकलापों की अगुवाई कर रहा है, जिसमें उद्योग का हर वर्ग शामिल है।

भारतीय मसालों के लिए विनियामक और निर्यात संवर्धन एजेंसी, स्पाइसेस बोर्ड का मुख्यालय कोचीन में है। स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 के अधीन 1987 में गठित, स्पाइसेस बोर्ड को छोटी और बड़ी इलायची के उत्पादन और विकास को बढ़ावा देने तथा 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात का संवर्धन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

बोर्ड ने अपने विकास और प्रचार-प्रसार की रणनीतियों के लिए गुणवत्ता और स्वच्छता को प्रमुख मानकों के रूप में स्थापित किया है। बोर्ड रणनीतिक रूप से योजनाएं तैयार कर रहा है और देश में उत्पादित मसालों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रहा है जैसे प्रमुख उत्पादन केंद्रों में वैज्ञानिक फसलोत्तर प्रबंधन के लिए सामान्य प्रसंस्करण केंद्र जिन्हें 'मसाला पार्क' कहा जाता है और प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में अत्याधुनिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ। बोर्ड के पास प्रीमियम गुणवत्ता वाले मसालों के विकास और उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने विकास, विपणन और अनुसंधान स्कंधों के माध्यम से अखिल भारतीय उपस्थिति है। उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण मसालों को पहुंचाने और मसाला उत्पादकों/सोसाइटियों के अग्रगामी एकीकरण को सुविधा प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा संचालित की गई एक पहल, फ्लेवरिट स्पाइस ट्रेडिंग लिमिटेड द्वारा किसानों से सीधे खरीदे गए प्रीमियम मसालों को ब्रांड 'फ्लेवरिट' के तहत पेश किया गया है, जिन्हें 'स्पाइसेस इंडिया' नामक लोकप्रिय स्टॉलों के माध्यम से बेचा जाता है।

स्पाइसेस बोर्ड के विविध क्रियाकलापों में शामिल हैं, छोटी और बड़ी इलायची के घरेलू विपणन का अनुसंधान, विकास और विनियमन, सभी मसालों का फसलोत्तर सुधार, जैविक उत्पादन को बढ़ावा, मसालों का प्रसंस्करण और प्रमाणन, उत्तर-पूर्व में मसालों का विकास और गुणवत्ता मूल्यांकन सेवाओं का प्रावधान। सभी मसालों का निर्यात संवर्धन बोर्ड का एक प्रमुख कार्यकलाप है, जिसे विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों के माध्यम से संचालित किया जाता है। मसालों के निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित बोर्ड की जिम्मेदारियों में शामिल हैं - गुणवत्ता प्रमाणन और नियंत्रण, निर्यातकों का पंजीकरण, व्यापार संबंधी जानकारी का संग्रहण और प्रलेखन, मसालों के आयात और निर्यात से संबंधित नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को अपेक्षित जानकारी का प्रावधान।

बोर्ड वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधानों के माध्यम से बेहतर उत्पादन विधियों का विकास और क्रियान्वयन करता है, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के माध्यम से उच्च और बेहतर गुणवत्ता वाली पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को मार्गदर्शन प्रदान करता है, उत्पादकों

को वित्तीय और भौतिक सहायता देता है, जैविक उत्पादन और मसालों के निर्यात को प्रोत्साहित करता है, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए अवसंरचना को सुकर बनाता है, सभी मसालों के निर्यातकों का पंजीकरण और लाइसेंसिंग सुनिश्चित करता है, बेहतर प्रसंस्करण प्रक्रियाओं पर अध्ययन और अनुसंधान के लिए सहायता देता है, सुव्यवस्थित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों, बेहतर ग्रेडिंग पद्यतियों, प्रभावी पैकेजिंग तकनीकों को सुकर बनाता है तथा मसाला निर्यातकों और उत्पादकों के बीच प्रत्यक्षा संपर्क स्थापित करने हेतु मंच प्रदान करने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजनो की व्यवस्था भी करता है।

निर्यातकों और आयातकों के लाभ के लिए विभिन्न माध्यमों/चैनलों में संवर्धनात्मक और शिक्षाप्रद सामग्री तैयार करना स्पाइसेस बोर्ड की सेवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह निर्यातकों और आयातकों के मध्य पारस्परिक संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। बोर्ड आयातकों की विशेष अपेक्षाओं के लिए सक्षम आपूर्ति स्रोतों की पहचान भी करता है तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, बैठकों आदि में भागीदारी के माध्यम से भारतीय निर्यातकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों के बीच आपसी बातचीत के लिए एक साझा मंच आयोजित करता है।

## **2. जन संपर्क एजेंसी के चयन के लिए निविदा**

स्पाइसेस बोर्ड भारत जन संपर्क (पीआर) मीडिया सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित, सुस्थापित, अनुभवी, पेशेवर और वित्तीय रूप से सुदृढ़ जनसंपर्क एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित कर रहा है। तकनीकी अपेक्षाओं तथा निबंधन व शर्तों के विवरण के साथ निविदा दस्तावेज स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट ([www.indianspices.com](http://www.indianspices.com)), सरकारी ई-अधिप्राप्ति पोर्टल (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) और एमएसटीसीएल ई-अधिप्राप्ति पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/>) में उपलब्ध है। निविदाएं एमएसटीसीएल ई-अधिप्राप्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

एमएसटीसीएल वेबसाइट के माध्यम से बोली ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तारीख **05-04-2021 को सायं 5.00 बजे** तक है। सभी बोलियों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज, निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विनिर्देशों तथा निबंधन और शर्तों में वर्णित किए अनुसार पीडीएफ के रूप में अपलोड किए जाने चाहिए।

बोलियों को दो अलग-अलग भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक है, अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली। तकनीकी बोली स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय में **12-04-2021 को सुबह 11.00 बजे** खोली जाएगी। उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ, जिनकी तकनीकी बोलियाँ योग्य पाई जाती हैं, बाद में खोली जाएंगी।

**सचिव  
स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची**

### 3. कार्य की गुंजाइश

- अपने विभिन्न पणधारियों के बीच स्पाइसेस बोर्ड और भारतीय मसालों के बारे में जागरूकता, दृश्यता और पहुंच को बढ़ाने के लिए एक परिपुष्ट जनसंपर्क (पीआर) योजना और रणनीति की संकल्पना और कार्यान्वयन। एजेंसी द्वारा स्पाइसेस बोर्ड की प्रतिष्ठा, सद्भावना और मीडिया उपस्थिति का निर्माण, संरक्षण और संवर्धन किया जाना चाहिए।
- विभिन्न राष्ट्रीय/क्षेत्रीय मीडिया माध्यमों जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और संचार के अन्य साधनों द्वारा स्पाइसेस बोर्ड की प्रमुख पहलों, उपलब्धियों, समारोहों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का विकास और प्रचार-प्रसार। एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि वह बोर्ड के पीआर क्रियाकलापों में अभिनव विचारों, कार्यक्रमों और रणनीतियों का समावेश करे।
- मसाला उद्योग से सकारात्मक संदेश का पता लगाना और उन संदेशों का सकारात्मक मीडिया कथानकों के रूप में रूपांतरित करना।
- रुझानों और घटनाक्रम को समझने के लिए मसाला उद्योग से संबंधित समाचारों की निगरानी करना।
- प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करना और बोर्ड द्वारा पूछे जाने पर प्रेस बैठकों, ब्रीफिंगों, ओपन हाउस, साक्षात्कारों, टॉक शो, ब्लॉगर्स ट्रिप आदि जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करना। पीआर एजेंसी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने समस्त प्रचार और जनसंपर्क क्रियाकलापों में मीडिया और बोर्ड के बीच की एक सुदृढ़ कड़ी के रूप में कार्य करें।
- बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, और अन्य कार्यक्रमों का मीडिया प्रबंधन तथा लागत विश्लेषण के साथ संकलित मीडिया ट्रेकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक कवरेज की निगरानी करना।
- संकट प्रबंधन के लिए क्षमता - पीआर एजेंसी किसी भी ऐसे प्रतिकूल प्रचार का निपटान करने में मदद करेगी, जिससे स्पाइसेस बोर्ड /भारतीय मसाले/पणधारी प्रभावित होते हों।
- बोर्ड के लिए एक प्रभावी विज्ञापन रणनीति, एडवर्टोरियल रणनीति और सोशल मीडिया रणनीति विकसित और कार्यान्वित करना। एजेंसी संचार के अदत्त साधनों के माध्यम से बोर्ड की दृश्यता और जागरूकता में संवृद्धि करेगी।
- स्पाइसेस बोर्ड /भारतीय मसालों की मीडिया उपस्थिति पर शोध संचालित करना और जनता के बीच इसकी कॉर्पोरेट छवि को सुधारने/पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाना।
- विषय-वस्तु और आंकड़ा विकास - प्रेस विज्ञप्तियां, शीर्ष अधिकारियों के लिए भाषण तैयार करना, अनुमोदित विषय-वस्तु का अंग्रेजी से अन्य भाषाओं में और इसके विपरीत अनुवाद करना और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में प्रकाशित कराने के लिए भारतीय

मसालों और मसाला उद्योग पर लेख तैयार करना।

- शीर्ष समाचारपत्रों/पत्रिकाओं/टीवी चैनलों के साथ उच्च अधिकारियों के साक्षात्कार का आयोजन करना।
- एजेंसी स्पाइसेस बोर्ड की मासिक पत्रिका 'स्पाइस इंडिया' में प्रकाशन के लिए और मीडिया में जारी करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न क्रियाकलापों/बैठकों/संगोष्ठियों/विचार-गोष्ठियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि से संबंधित सामग्री तैयार करेगी।
- पीआर अधिकारियों और बोर्ड के चिह्नित अधिकारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना।
- प्रभावी सोशल मीडिया प्रबंधन -
  - ✓ फेसबुक (*spicesboardindia*), ट्विटर (*@Spices\_Board*), यू-ट्यूब और इंस्टाग्राम (*@spicesboard*) पर स्पाइसेस बोर्ड के आधिकारिक पेज/हैंडल को संभालना। लक्षित ऑडिएंस वरीयताओं को पहचानना तथा अधिकाधिक फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स प्राप्त करने के लिए तदनुसार सामग्री का सृजन करना और उसे हैंडल करना।
  - ✓ अदत्त साधनों के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों तक स्पाइसेस बोर्ड के संदेशों और अन्य योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना ताकि उसकी विषय-वस्तु वास्तविक समय आधार पर इंटरनेट डोमेन पर अंतिम छोर तक पहुंच सके।
  - ✓ एजेंसी स्पाइसेस बोर्ड की योजनाओं, कार्यक्रमों, मेलों आदि से संबंधित सामग्री को तैयार करने, उसकी संभालाई और उसे जनता तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होगी, ताकि उसे इंटरनेट और अन्य सोशल मीडिया साइटों के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित किया जा सके।
  - ✓ एजेंसी को विषय-वस्तु की पहुंच बढ़ाने और विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफार्मों पर सामग्री को संघटित रूप से प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव योजनाएं और रणनीतियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
  - ✓ ऑनलाइन वेबसाइटों, गूगल एड वर्ड्स और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण साइटों पर ऑनलाइन विज्ञापन रणनीति क्रियान्वित करना जिनका व्यवसाय समुदाय (अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय) द्वारा अवलोकन किया जाता है।
  - ✓ कमेंट्स/फीडबैक को संभालना, कार्य की गुंजाइश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑनलाइन पर कमेंट्स (सकारात्मक/नकारात्मक) को सावधानीपूर्वक संभाली जानी चाहिए और स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों के परामर्श से उनके उत्तर शीघ्र ही मेइल, फोन, आदि द्वारा दिए जाने चाहिए।

- ✓ स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आयोजित व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, वेबिनार आदि का प्रचार-प्रसार करना जिससे कि उन तक पणधारियों की अधिकतम पहुंच और संवर्धित भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- स्पाइसेस बोर्ड के पास अनुबंध की अवधि के दौरान/किसी भी समय या आवश्यकता के अनुसार एजेंसी द्वारा तैयार की गई सामग्री पर स्वामित्व/अधिकार होगा। एजेंसी उसके द्वारा तैयार की गई सामग्री की सॉफ्टकॉपी हर महीने स्पाइस बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

### 3.1 कार्य की गुंजाइश के अनुसार बोलीदाता से अपेक्षित न्यूनतम प्रदेयताएं

क्र.सं.	प्रदेयताएं	न्यूनतम संख्या/मात्रा
1	जनसंपर्क योजना और रणनीति की अवधारणा तैयार करना। इसमें विज्ञापन, एडवर्टोरियल और सोशल मीडिया संबंधी रणनीतियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।	प्रारंभ में एक विस्तृत योजना रिपोर्ट, जिसे ठेके की पूरी अवधि के दौरान समय-समय पर संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।
2	स्पाइसेस बोर्ड और भारतीय मसालों के बारे में जन-जागरूकता में वृद्धि करने के लिए मीडिया (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल/सोशल मीडिया /अन्य मीडिया) में स्पाइसेस बोर्ड और भारतीय मसालों की पर्याप्त कवरेज और व्यापक प्रचार-प्रसार।	प्रमुख राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में प्रति माह चार प्रकाशन तथा अन्य लेख/फीचर/विशेष रुचि की कथाएं
3	स्पाइसेस बोर्ड और भारतीय मसालों से संबंधित समाचारों के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की निगरानी करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जब भी आवश्यक हो प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया तैयार करना और बोर्ड के अनुमोदन के साथ उसे जारी करना।	प्रतिदिन
4	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवसों/घटनाओं के संबंध में विशिष्ट अभियान/संदेश (जैसे: विश्व कैंसर दिवस के दौरान मसालों के प्रतिरक्षा-वर्धक गुणों को प्रोत्साहित करना)	प्रतिवर्ष 10 अभियान
5	स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आयोजित आयोजनों और कार्यक्रमों का मीडिया प्रबंधन	जब कभी अपेक्षित हो
6	संकट प्रबंधन और उचित समय पर सूचना का प्रचार-प्रसार	जब कभी अपेक्षित हो
7	स्पाइसेस बोर्ड और भारतीय मसालों की सार्वजनिक छवि और मीडिया उपस्थिति पर शोध संचालित करना, रिपोर्ट	मासिक

	प्रस्तुत करना, आवश्यक क्रियाकलापों, अभियानों और गतिविधियों को तैयार करना और उन्हें संचालित करना।	
8	स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों के लिए प्रेस विज्ञप्तियां तैयार करना, भाषण/प्रस्तुतियों आदि के लिए विषय-वस्तु और आंकड़ों का विकास करना और उनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद तैयार करना।	जब कभी अपेक्षित हो
9	टॉक शो, साक्षात्कार आदि में अपने अधिकारियों की भागीदारी के माध्यम से स्पाइसेस बोर्ड की सार्वजनिक पहुंच में वृद्धि करना।	2 प्रतिमाह
10	मसालों से संबंधित आयोजनों, तथ्यों, वैज्ञानिक विकास आदि पर रिपोर्ट तथा 'स्पाइस इंडिया' पत्रिका के लिए सफलता की गाथाएं और सामान्य रुचि के लेख।	न्यूनतम 3 प्रतिमाह
11	जनसंपर्क और प्रचार प्रबंधन पर स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	संविदा की अवधि के दौरान 2 प्रशिक्षण
12	<b>*ऑनलाइन विज्ञापनों सहित सोशल मीडिया प्रदेयताएं</b>	
	<b>सोशल मीडिया माध्यम</b>	<b>नए अपडेटों की संख्या</b>
	फेसबुक	पांच पोस्ट प्रतिदिन
	ट्विटर	पाँच ट्वीट प्रतिदिन
	यू-ट्यूब	न्यूनतम 5 मिनट की अवधि के 2 वीडियो प्रतिमाह
	इंस्टाग्राम	प्रतिदिन पाँच कथाएं
	खोज और प्रदर्शन के लिए गूगल विज्ञापन	प्रतिदिन एक

\*सोशल मीडिया पोस्ट/कथाएं सौम्य समाचार (सूचनात्मक और मनोरंजक) तथा विषय-वस्तु/परिस्थिति के आधार पर संवादात्मक होने चाहिए।

#### टिप्पणी:

1. बोलीदाता को यह ध्यान में रखना होगा कि सूचीबद्ध न्यूनतम प्रदेयताएं और उल्लिखित परिमाण व्यापक नहीं हैं और इसमें स्पाइसेस बोर्ड की अपेक्षाओं के अनुसार किसी भी अन्य जनसंपर्क और प्रचार-प्रचार संबंधी गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। सफल बोलीदाता बोर्ड की ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए दायी है।



2. बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त जनसंपर्क और प्रचार क्रियाकलापों (न्यूनतम प्रदेयताओं के ऊपर) के क्रियान्वयन में शामिल अतिरिक्त व्ययों के बारे में अग्रिम तौर पर सूचित किया जाना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक अनुमोदन लिखित रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए।

3. बोलीदाता, बोर्ड को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय देयताओं के किसी अन्य संबंधित सेवा की पेशकश भी कर सकता है। ऐसी सेवाओं पर उनकी उपयोगिता और गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा।

#### **4. निर्दिष्टीकरण की अवधि**

प्रारंभिक कार्य(assignment) एक वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसे एजेंसी के संतोषजनक कार्य-निष्पादन पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

#### **5. न्यूनतम पात्रता मानदण्ड**

संभावित जनसंपर्क एजेंसी/परामर्शदाता द्वारा न्यूनतम पात्रता मानदंडों की पूर्ति की जानी चाहिए। न्यूनतम पात्रता मानदंडों की पूर्ति नहीं करने वाली एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

क. एजेंसी को, भारत में कम-से-कम तीन वर्षों के लिए जनसंपर्क सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में रत होनी चाहिए।

ख. फर्म द्वारा तीन तत्काल पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों (निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20) में प्रत्येक में न्यूनतम 50 लाख रु. का टर्नओवर दर्ज किया होना चाहिए। इस मानदंड के तहत अर्हता के समर्थन में, फर्मों को संगठन के चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण-पत्र और उल्लिखित तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और पी एंड एल विवरण तथा आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए।

ग. फर्म को सरकारी विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों/सांविधिक निगमों के लिए जनसंपर्क परामर्श/मीडिया समन्वय/जनसंपर्क संबंधी समाधान प्रदान करने में पूर्व अनुभव होना चाहिए। इस मानदंड के तहत उनकी पात्रता के समर्थन में, फर्मों को संविदाओं/करारों/कार्य-आदेश की स्व-सत्यापित प्रतियां और ग्राहकों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की प्रतियां, यदि कोई हैं, प्रस्तुत करनी चाहिए।

घ. एजेंसी का कोच्ची, केरल में एक कार्यालय होना चाहिए।

ड. बोलीदाता तकनीकी बोली के साथ जीएसटी पंजीकरण और पैन कार्ड के प्रति प्रस्तुत करेगा।

च. बोलीदाता को भारत में किसी सरकारी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए। इस संबंध में, एक घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए (अनुबंध 3)।

**न्यूनतम पात्रता मानदण्ड के लिए जांच-सूची**

क्र.सं.	अर्हता मानदण्ड	अपेक्षित सहायक दस्तावेज
1	एजेंसी को भारत में कम-से-कम 3 वर्षों के लिए जनसंपर्क सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में रत होना चाहिए।	आरओसी से कंपनी समावेशन प्रमाण-पत्र अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र
2.	फर्म द्वारा तीन तत्काल पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों (निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20) में प्रत्येक में प्रचालन के समान क्षेत्र में न्यूनतम 50 लाख रु. का टर्नओवर दर्ज किया होना चाहिए।	संगठन के चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण-पत्र और उल्लिखित वर्षों के लिए लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और पीएंडएल विवरण तथा आयकर विवरणी
3.	फर्म को सरकारी विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों/सांविधिक निगमों के लिए जनसंपर्क परामर्श/मीडिया समन्वय/जनसंपर्क संबंधी समाधान प्रदान करने में पूर्व अनुभव होना चाहिए।	प्रचालन के समान क्षेत्र में संविदाओं/अनुबंधों/कार्य आदेश की स्व-सत्यापित प्रतियां और ग्राहकों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की प्रतियां
4.	एजेंसी का कोच्ची, केरल में एक कार्यालय होना चाहिए।	पते का प्रमाण
5.	बोलीदाता तकनीकी बोली के साथ जीएसटी पंजीकरण और पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करेगा।	जीएसटी प्रमाण-पत्र और पैन की प्रति
6.	बोलीदाता को भारत में किसी सरकारी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए।	इस आशय की घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए (अनुबंध 3)
7.	बोलीदाता को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से 'सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, कोचीन' के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 50,000/- रु. की ईएमडी प्रस्तुत करनी चाहिए।	'सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची' के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट

## 5.1 निविदा की सामान्य शर्तें

क) निविदाकर्ता को निविदा सूचना में निहित निर्देशों (सामान्य निर्देश और तकनीकी विनिर्देशनों में निर्धारित निर्देश) को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उन्हीं के अनुसार निविदा को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करना चाहिए।

ख) यदि यथाअपेक्षित दस्तावेजी प्रमाण संलग्न नहीं किए गए हैं, तो निविदा अस्वीकृत किए जाने के लिए दायी होगी।

ग) बोली और संबंधित सहायक दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर, असंशोधनीय डिजिटली हस्ताक्षरित सॉफ्ट प्रतियों को छोड़कर, बोली पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निविदाकर्ता की मुहर सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे।

घ) निविदा के लिए अपेक्षित समर्थन दस्तावेज को केवल पीडीएफ फाइलों के रूप में अपलोड किया जाना है।

ड.) निविदा दस्तावेज के प्रत्येक भाग को शीर्षकों के साथ स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए और इसके साथ एक छोटी टिप्पणी भी संलग्न की जानी चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि किस अपेक्षा के लिए निविदा दस्तावेज को प्रस्तुत किया जा रहा है। अपलोड किए गए सभी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए। पूर्व के कार्य आदेशों की प्रतियों और निविदाकर्ता के पिछले कार्य-निष्पादन के दावे का समर्थन करने वाले कार्य-निष्पादन प्रमाण-पत्रों के मामले में, उनकी स्कैन की गई प्रतियां निविदाकर्ता द्वारा अपलोड किए गए पीडीएफ दस्तावेजों में शामिल की जाएंगी।

च) निविदाकर्ता तकनीकी बोली के भाग के रूप में अनुबंध-3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार घोषणा पत्र और प्रकाशित निविदा के संशोधनों की प्रति, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा जिन पर निविदाकर्ता या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए होंगे जो इस बात का प्रमाण होगा कि उसने निविदा के निबंधनों और शर्तों को पढ़ लिया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

छ) यदि किसी भी समय तथ्यों/दस्तावेजों के गलत निरूपण/गलत सूचना प्रस्तुत किए जाने का कोई मामला ध्यान में आता है, तो बोलीदाता के जोखिम और लागत पर अनुबंध रद्द किए जाने का दायी होगा।

ज) अस्पष्ट/संदिग्ध और इसी प्रकार के वित्तीय निबंधनों के साथ प्रस्तुत एक प्रस्ताव को अनुत्तरदायी करार दिया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

झ) विनिर्दिष्ट अनुरोधों के संबंध में स्पष्टीकरण ई-मेल के माध्यम से दिया जाएगा और सभी निविदाकर्ताओं को प्रभावित करने वाले सामान्य स्पष्टीकरण स्पाइसेस बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ([www.indianspices.com](http://www.indianspices.com)), सीपीपी पोर्टल और एमएसटीसीएल ई-कॉमर्स वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे जहां ई-टेंडर होस्ट किया गया है। तथापि, यह सुनिश्चित करना संभावित निविदाकर्ता का कर्तव्य होगा कि निविदा के संबंध में मांगा गया स्पष्टीकरण स्पाइसेस बोर्ड में

समय पर समुचित रूप से प्राप्त कर लिया गया है। निविदा प्रक्रिया के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण स्पाइसेस बोर्ड, कोचीन से ई-मेल (publicity.sb-ker@gov.in) या 0484 2333610-616 (विस्तार: 226) के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

## **6. बोली के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज**

जनसंपर्क एजेंसी/सेवा प्रदाता द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए बोली प्रस्ताव में निम्नलिखित शामिल होगा:

1. एजेंसी/सेवा प्रदाता के पत्र-शीर्ष में बोली सहमति पत्र जिसके साथ निविदा की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति भी होगी।
2. बोली प्रस्तुतीकरण फॉर्म
3. एजेंसी प्रोफाइल
4. विनिर्दिष्ट प्रपत्र में घोषणा
5. न्यूनतम योग्यता मानदण्ड की पूर्ति करने वाले दस्तावेजी प्रमाण
6. पंजीकरण/समावेशन प्रमाण-पत्र की प्रति
7. कार्यालयों की सूची
8. ग्राहकों की सूची
9. पैन की प्रति
10. जीएसटी पंजीकरण की प्रति
11. पिछले 3 निर्धारण वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों/तुलन-पत्र/लाभ और हानि लेखाओं की प्रति
12. पिछले 3 निर्धारण वर्षों की आयकर विवरणियों की प्रति और फर्म के चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण-पत्र
13. बिंदु 7.4 में यथानिर्दिष्ट बयाना जमा राशि

## **7. बोलियां प्रस्तुत करना**

निविदा को दो आवरण प्रणाली में निम्नानुसार ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा और उसे **बोलीदाता** के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत स्कैन और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा:

### **7.1. तकनीकी बोली (कवर-1)**

क. **बोलीदाता** को अपेक्षित बोली दस्तावेजों को डिजिटली हस्ताक्षर करना होगा और उन्हें एक-एक करके अपलोड करना होगा जैसाकि निविदा दस्तावेज में दर्शाया गया है।

ख. तकनीकी बोली आवरण में अनुबंध 1 पर न्यूनतम अर्हता मानदंड और विवरण में मांगे गए विवरण शामिल किए जाने चाहिए तथा उनके साथ-साथ उसमें उल्लिखित सभी सहायक दस्तावेजों

की प्रतियां भी संलग्न की जानी चाहिए।

ग. बोलीदाता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि सभी दस्तावेजों की सटीकता/प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदारी लेते हुए उन पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उन्हें अपलोड करेगा तथा निविदा दस्तावेज के निबंधन और शर्तों की स्वीकृति के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेगा।

घ. अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और मुहर के साथ कवर-1 के भाग के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों की हार्ड प्रतियां, 7.4.6 में उल्लेखित पते पर इस प्रकार भेजी जाएंगी ताकि वे निविदा की अंतिम तारीख और समय तक या उससे पूर्व प्रेषिती तक पहुंच जाएं।

ड. बोलीदाताओं को आगाह किया जाता है कि कवर-1 (तकनीकी बोली) में किसी भी वित्तीय जानकारी को प्रकट करने के परिणामस्वरूप उनकी निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

## 7.2 वित्तीय बोली (कवर-2)

क. केवल तकनीकी रूप से अर्हक प्रस्तावों के ही कवर-2, अर्थात् वित्तीय बोली को खोला जाएगा। वित्तीय बोली अनुबंध-II में संलग्न प्रारूप में एमएसटीसीएल ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी। निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी वित्तीय जानकारी को प्रिंट के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रयास बोली को अनुत्तरदायी बना देगा।

ख. जो बोलीदाता निर्धारित तारीख और समय के भीतर तकनीकी बोली (कवर 1) प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन्हें अनुत्तरदायी माना जाएगा।

ग. यदि बोलियाँ बोर्ड द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत नहीं की जाती हैं, तो बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

## 7.3. निविदा दस्तावेजों में संशोधन

1. **स्पाइसेस बोर्ड**, निविदा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा से पूर्व, किसी भी कारण से, शुद्धिपत्र/परिशिष्ट द्वारा निविदा दस्तावेज को संशोधित कर सकता है।

2. शुद्धिपत्र/परिशिष्ट ई-अधिप्राप्ति वेबसाइट (<http://mstcecommerce.com>) और **स्पाइसेस बोर्ड** की वेबसाइट ([www.indianspices.com](http://www.indianspices.com)) और सरकारी ई-अधिप्राप्ति पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com>) पर प्रकाशित की जाएगी।

3. बोलीदाता प्रकाशित किए गए शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई है, की एक प्रति तकनीकी बोली के भाग के रूप में इस प्रमाण के तौर पर निविदाकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हस्ताक्षरित कराते हुए प्रस्तुत करेगा कि निविदा दस्तावेज के निबंधन और शर्तों को पढ़ लिया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

4. **स्पाइसेस बोर्ड**, पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा को स्वीकार करने या किसी भी अवस्था पर बिना कोई कारण बताए उसे अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

#### 7.4. बयाना जमा राशि (ईएमडी)

1. प्रत्येक तकनीकी बोली के साथ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से 'सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची' के पक्ष में आहरित डीडी के रूप में 50000/- रु. की बयाना जमा राशि (ईएमडी) संलग्न की जानी चाहिए।
2. ईएमडी के बिना तकनीकी बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा जब तक कि सरकार द्वारा विशेष रूप से ईएमडी के भुगतान से छूट न दी गई गई हो, जिसके लिए कारणों और प्रमाण को संलग्न किया जाना होगा।
3. असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी (बिना किसी ब्याज के)।
4. सफल **बोलीदाता** की ईएमडी राशि कार्य आदेश की स्वीकृति और कार्य-निष्पादन गारंटी, यदि लागू हो, प्रस्तुत किए जाने के 45 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी (बिना किसी ब्याज के) जैसाकि संबंधित आदेश में उल्लेख किया गया है।
5. यदि **बोलीदाता** अपनी निविदा की वैधता की अवधि के भीतर निविदा से हटाता है या अपनी निविदा में संशोधन करता है या निविदा का किसी भी रूप में उल्लंघन करता है, तो ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा।
6. ईएमडी को सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर "जनसंपर्क एजेंसी, स्पाइसेस बोर्ड के चयन के लिए निविदा" शब्द लिखे होंगे, स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/दस्ती के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा, कि वह अंतिम समय पर या उससे पहले निम्नलिखित पते पर पहुंच जाए,

उप सचिव (प्रचार)

स्पाइसेस बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार,

सुगंध भवन,

एनएच बाई पास, पालारिवट्टम पी.ओ.

कोच्ची-682025

7.5 एक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो ऐसे प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अंतिम तारीख और उपरोक्त वर्णित समय के बाद प्राप्त बोलियों को उनके संबंध में कोई अन्य पत्र-व्यवहार किए बिना अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

#### 8. बोलियों का मूल्यांकन

क्या तकनीकी बोलियाँ, निर्दिष्ट की गई कार्य की गुंजाइश में निर्धारित अपेक्षाओं के लिए पर्याप्त रूप से अनुक्रियशील हैं या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड द्वारा गठित एक निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) उनका एक विस्तृत मूल्यांकन संचालित करेगी।

## 8.1. तकनीकी मूल्यांकन

बोली प्रक्रिया दो-चरणों वाली प्रक्रिया होगी। तकनीकी बोलियों के विस्तृत मूल्यांकन से पहले, स्पाइसेस बोर्ड यह निर्धारित करेगा कि क्या प्रत्येक बोली प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण है या नहीं, उसके साथ आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों संलग्न हैं और क्या वह निविदा दस्तावेज में निर्धारित अपेक्षाओं के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी है।

1. निर्धारित तारीख और समय के भीतर प्राप्त निविदाओं की स्पाइसेस बोर्ड द्वारा यह निर्धारित करने के लिए जांच की जाएगी कि क्या वे इस दस्तावेज में और इसके पश्चातवर्ती संशोधन (नों), यदि कोई हो, में उल्लिखित पात्रता मानदंड तथा निबंधन और शर्तों की पूर्ति करती हैं, और क्या वे निविदाएं सभी दृष्टि से पूर्ण हैं।

2. संवीक्षा करने पर, जो निविदाएं अस्पष्ट पाई जाती हैं/वांछित प्रारूप में नहीं होती हैं/अपूर्ण होती हैं/जिनमें स्पष्ट जानकारी नहीं होती है, उन पर आगे की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3. यदि आवश्यक समझा जाता है, तो स्पाइसेस बोर्ड बोलीदाता से निविदा के किसी भी पहलू पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। यदि लिखित प्रतिक्रिया का अनुरोध किया जाता है, तो उसे तीन दिनों के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए। तीन दिन के बाद प्राप्त प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, इससे आवेदक को पहले प्रस्तुत किए गए अपने दस्तावेजों के तथ्यों में कोई परिवर्तन करने अथवा परिवर्तन कराने का हक प्राप्त नहीं होगा। स्पाइसेस बोर्ड समान परियोजनाओं के संबंध में आवेदकों के पिछले कार्य-निष्पादन को सिद्ध करने के लिए पूछताछ भी करेगा। आवेदन में प्रस्तुत की गई या बाद में प्राप्त की गई समस्त जानकारी गोपनीय मानी जाएगी।

4. प्राप्त हुई सभी बोलियों का मूल्यांकन ऊपर वर्णित किए गए न्यूनतम अर्हता मानदंडों की तुलना में किया जाएगा। इन मानदंडों की पूर्ति करने वाली बोलियां विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन के अध्यधीन होंगी।

### 8.1.क तकनीकी मूल्यांकन भाग-1

तकनीकी मूल्यांकन भाग-1 प्रस्तुत दस्तावेजों की संवीक्षा से संबंधित होगा और नीचे दिए गए बोली मूल्यांकन मानदंड के अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे।

क्र.सं.	मानदंड	अधिभार	
		मानदण्ड कुल	उप-मानदण्ड
1	बोलीदाता का अनुभव (ट्रैक रिकॉर्ड)	50	

क	सरकारी संगठनों में जनसंपर्क सेवाएं प्रदान करने तथा सोशल मीडिया हैंडलों के प्रबंधन में <b>बोलीदाता</b> के प्रासंगिक अनुभव के वर्षों की संख्या 5 वर्ष से अधिक : 10 अंक, 3-5 वर्ष : 05 अंक, 3 से कम वर्ष : 0 अंक*		10
ख	सरकार/मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कार्य करने का अनुभव परियोजनाओं की संख्या 5 या अधिक परियोजनाएं : 10 अंक 1-4 परियोजनाएं : 5 अंक		10
ग	कंपनी प्रोफाइल मीडिया और जनसंपर्क प्रबंध में प्रमुख व्यक्तियों का अनुभव 10 वर्ष से अधिक : 10 अंक 05-10 वर्ष : 5 अंक 03-05 वर्ष : 02 वर्ष		10
घ	मसालों और अन्य कृषि पण्यों, एफएमसीजी और खाद्य और पेय पदार्थों में क्षेत्र अनुभव क्षेत्र के 5 अथवा अधिक ग्राहक -10 अंक क्षेत्र के 5 से कम ग्राहक : 5 अंक		10
ड.	सोशल मीडिया हैंडलों तथा डिजाइनों, श्रव्य और वीडियो रचनाओं, एनिमेशनों आदि के रूप में विषय-वस्तु सृजन में क्षेत्र अनुभव पिछले 3 वर्षों के दौरान ग्राहकों की संख्या - 5 अथवा अधिक ग्राहक : 10 अंक 5 से कम ग्राहक : 5 अंक		10
2.	<b>टर्नओवर के संदर्भ में बोलीदाता की समग्र वित्तीय स्थिति</b> पिछले 3 निर्धारण वर्षों के दौरान वार्षिक टर्नओवर का औसत यदि टर्नओवर 1 करोड़ रु. या अधिक है : 10 अंक यदि टर्नओवर 500000 - 1 करोड़ रु. के बीच है: 5 अंक	10	10
	कुल	60	60



\*बोली प्रक्रिया में भागीदारी के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंड में से एक यह है कि 'एजेंसी को भारत में कम-से-कम 3 वर्षों के लिए जनसंपर्क सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में रत होना चाहिए'।

तकनीकी मूल्यांकन चरण-1 में अधिकतम 60 अंक हासिल किए जा सकते हैं। **बोलीदाता** को उनके अंकों के आधार पर रैंक प्रदान किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन चरण-2 के लिए पांच से अधिक बोलीकर्ताओं के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### तकनीकी मूल्यांकन भाग -2

1. योग्य बोलीदाताओं को उनमें से चुने जाने के लिए विधिवत रूप से गठित समिति/स्पाइसेस बोर्ड के प्राधिकृत/संबंधित अधिकारी (यों) के समक्ष ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रस्तुति के लिए बुलाया जाएगा। प्रस्तुति के दौरान, बोलीदाताओं को बोर्ड के लिए अपनी प्रस्तावित जनसंपर्क रणनीति के विवरणों को विस्तार से प्रस्तुत करना होगा और क्षेत्र के अपने ज्ञान, प्रासंगिक कार्मिक सुदृढ़ता, क्षेत्र में अनुभव आदि का प्रदर्शन करना होगा।

तकनीकी प्रस्तुतीकरण के लिए अधिभार (100 अंक)

क्रमांक	क्षेत्र	अधिभार
1	प्रस्तुत की गई समग्र रणनीति और मीडिया/जनसंपर्क योजना	15
2	पैरा 3.1 में निर्दिष्ट मद्दों के संबंध में पेश की गई प्रदेयताएं व्याप्ति और संपूर्ण एवं व्यापक संवर्धन मीडिया निगरानी, एमआईएस और संकट प्रबंध विशिष्ट अभियान बोर्ड के आयोजनों और कार्यक्रमों का मीडिया प्रबंध विषय-वस्तु विकास सेवाएं (प्रकाशनियां, पीपीटी, भाषण, संदेश आदि) जनसंपर्क क्रियाकलापों के माध्यम से भारतीय मसालों और स्पाइसेस बोर्ड की पहुंच और सद्भावना का संवर्धन सोशल मीडिया प्रबंध अतिरिक्त प्रदेयताएं	35
3	व्यावसायिक क्षमता और समर्पित मानवशक्ति जिसे स्पाइसेस बोर्ड के एकाउंट को हैंडल करने के लिए विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है	15

4	मसाला क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख पहलुओं/घटनाक्रमों, बोर्ड की उपलब्धियों/ क्रियाकलापों/योजनाओं/बोर्ड द्वारा आयोजित बैठकों/संगोष्ठियों/विचार-गोष्ठियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों का प्रचार-प्रसार करने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड की मासिक पत्रिका 'स्पाइस इंडिया' और एक नए डिजिटल न्यूज़लैटर के लिए सामग्री का विकास करना और रणनीति/योजनाएं तैयार करना।	15
5	प्रभाव में वृद्धि करने के लिए पेश की गई अभिनव सेवाएं	5
	कुल	100

8.2 तकनीकी बोलियों (भाग 1 और भाग 2) में प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंक 160 होंगे।

8.3 तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियों का अधिभार क्रमशः 70 और 30 होगा। बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) का अनुपालन किया जाएगा।

तकनीकी अधिभार (एसटी) : बोलीदाता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों को 70 अंकों के पैमाने पर लाया जाएगा। उदाहरण के लिए, तकनीकी मूल्यांकन में बोलीदाता द्वारा हासिल किए गए अधिकतम 160 लागू अंकों के लिए उसे 70 अंक प्रदान किए जाएंगे और अन्य फर्मों को आनुपातिक आधार पर अंक दिए जाएंगे।

एसटी = टी/160 \* 70 जहां टी तकनीकी मूल्यांकन मानदण्ड के अनुसार हासिल किए गए तकनीकी अंक हैं।

### **9. वित्तीय बोलियों का खोला जाना और अंतिम चयन**

1. सभी प्रस्तुतीकरणों के लिए अंक दिए जाएंगे। जो बोलीदाता तकनीकी मूल्यांकन के लिए प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंकों (160 में से 96 अंक) में से न्यूनतम 60% अंकों प्राप्त करेंगे, उन्हीं का चयन किया जाएगा और केवल उन्हीं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी।

2. **वित्तीय अंक (एसएफ):** सबसे कम शुल्क निर्दिष्ट करने वाली फर्म को 30 अंकों प्रदान किए जाएंगे। अन्य फर्मों को एसएफ = "30 x पीएल/पी सूत्र के आधार पर अंक दिए जाएंगे, जहां पी फर्म द्वारा उद्धृत शुल्क है और पीएल सबसे कम उद्धृत किया गया शुल्क है।

3. **तकनीकी अंक (एसटी):** बोलीदाता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों को 70 अंकों के पैमाने पर लाया जाएगा। उदाहरण के लिए, तकनीकी मूल्यांकन में बोलीदाता द्वारा हासिल किए गए अधिकतम 160 लागू अंकों के लिए उसे 70 अंक प्रदान किए जाएंगे और अन्य फर्मों को आनुपातिक आधार पर अंक दिए जाएंगे जैसा नीचे दिया गया है:

एसटी = टी/160 \* 70 जहां टी बोलीदाता को तकनीकी मूल्यांकन मानदण्ड के अनुसार प्रदान किए गए तकनीकी अंक हैं।

4. **अंतिम चयन:** संयुक्त तकनीकी और वित्तीय अंकों का परिकलन एस = एसटी + एसएफ के रूप में किया जाएगा। संयुक्त अंकों के अनुसार प्रस्तावों को रैंक प्रदान किया जाएगा। उच्चतम संयुक्त तकनीकी और वित्तीय अंक (एस) प्राप्त करने वाली फर्म को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
5. ऑनलाइन वित्तीय बोलियों को छोड़कर बोली के किसी भी भाग में मूल्यों का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए।
6. वित्तीय बोली में, यदि आंकड़ों में और शब्दों में उल्लिखित मूल्यों के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो शब्दों में उल्लिखित कीमतें प्रभावी होंगी।
7. पर्याप्ततः उत्तरदायी बोलियां: पर्याप्ततः उत्तरदायी बोली वह है, जो निविदा की सभी अपेक्षाओं, नियमों, शर्तों और विनिर्देशनों के अनुरूप है।
8. बोली मूल्यांकन प्रक्रिया या निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा बोलियों के प्रक्रमण या कार्य प्रदान करने के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए बोलीदाता द्वारा किए गए किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
9. यदि आवश्यक समझा जाता है, तो स्पाइसेस बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में तकनीकी मूल्यांकन के लिए मानदंड सहित कट ऑफ पॉइंट्स में अपेक्षित परिवर्तन कर सकता है।
10. निविदा मूल्यांकन समिति किसी एक या सभी बोलीदाताओं के साथ तकनीकी बातचीत या चर्चा करने का विकल्प चुन सकती है। तकनीकी और वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
11. निविदा/अनुबंध के निबंधनों और शर्तों का पालन करने में बोलीदाता की विफलता प्रदान किए गए अनुबंध के विलोपन के लिए पर्याप्त आधार गठित करेगी, जिस स्थिति में अनुबंध आगामी सर्वाधिक उत्तरदायी बोलीदाता को प्रदान किया जा सकेगा।

## 10. शुल्क और अन्य प्रभार

चयनित एजेंसी को मासिक प्रतिधारण शुल्क और व्यावसायिक प्रभारों के लिए यथालागू जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।

<b>निविदा की रीति</b>	ई-अधिप्राप्ति प्रणाली (एमएसटीएल लिमिटेड के <a href="https://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb">https://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb</a> के माध्यम से ऑनलाइन भाग-1 - तकनीकी बोली और भाग-2 - वित्तीय बोली)
<b>संव्यवहार शुल्क</b> टिप्पणी: कृपया नोट करें कि बोलीदाताओं को एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के पक्ष में संव्यवहार शुल्क का भुगतान संप्रेषित कर देने के बाद ही ऑनलाइन ई-निविदा की एक्सेस प्राप्त होगी।	..... रु. - (18% जीएसटी की दर सहित GST) संव्यवहार शुल्क का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में (संव्यवहार शुल्क और संबंधित बैंक प्रभारों का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाना है)

## 11. निबंधन और शर्तें

1. स्पाइसेस बोर्ड भारत के पास कोई भी अन्य जानकारी मंगाने का अधिकार सुरक्षित है। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी जानकारी का किसी भी अवस्था में गलत पाया जाना उसे अर्हक बना देगा।
2. बोर्ड डक में किसी विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अपूर्ण आवेदन के फलस्वरूप आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकृत किया जा सकता है। बोर्ड के पास बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। स्पाइसेस बोर्ड के पास किसी भी अवस्था पर प्रक्रिया को रोकने अथवा वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है जिसकी सूचना उन सभी दी जाएगी जिन्होंने बोलियां प्रस्तुत की हैं।
3. स्पाइसेस बोर्ड के पास इस दस्तावेज़ के किसी या सभी उपबंधों को बदलने/आशोधित करने/संशोधित करने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा दस्तावेज़/संशोधित निविदा में ऐसे संशोधन स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट, एमएसटीसीएल ई-अधिप्राप्ति पोर्टल और सीपीपीपी पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

4. विवाद समाधान: यदि या इस बोली से जुड़ा या इससे कारण उत्पन्न या इससे संबंधित या इसके तहत पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो पक्षकार तुरंत और अच्छी सद्भावना के साथ उसके सौहार्दपूर्ण समाधान और समझौते के उद्देश्य से बातचीत करेंगा। यदि उक्तसंदर्भित विवाद या मतभेद उत्पन्न होने की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर इस संबंध में कोई सौहार्दपूर्ण समाधान या समझौता नहीं होता है, तो ऐसे विवाद या विभेद को अंततः सचिव, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निपटाया जाएगा, जिसका निर्णय, पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
5. सफल बोलीदाता को बोर्ड के साथ एक लिखित समझौता करना होगा, जिसमें उन सभी निबंधनों और शर्तों को शामिल किया जाएगा जिसके तहत बोर्ड ने प्रस्ताव को स्वीकार किया था।
6. निविदा प्रस्तुत करना बोलीदाता की इस सहमति का प्रमाण है कि वह निविदा प्रक्रिया और पश्चातवर्ती बोली प्रक्रिया के लिए अनुरोध के निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है। यदि कोई बोलीदाता किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो उनकी बोली को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है।
7. निविदा में किसी भी तथ्य का जानबूझकर गलत निरूपण किए जाने के परिणामस्वरूप बोलीदाता को अयोग्य ठहराया जाएगा और इसका उन कार्रवाहियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो स्पाइसेस बोर्ड द्वारा संचालित की जा सकती हैं। निविदा और उसके साथ संलग्न दस्तावेज स्पाइसेस बोर्ड की संपत्ति बन जाएंगे। बोलीदाताओं को लाइसेंसधारक समझा जाएगा, और वे स्पाइसेस बोर्ड को मूल्यांकन के उद्देश्य से उनकी सेवा/समाधान के संपूर्ण या किसी भाग को पुनः तैयार करने, प्रस्तुतीकरण की विषय-वस्तु को अन्य बोलीदाताओं के समक्ष प्रकट करने और/या प्रस्तुतीकरण की विषय-वस्तु को निविदा प्रक्रिया के आधार के रूप में प्रयोग करने के समस्त अधिकार प्रदान कर देंगे।
8. स्पाइसेस बोर्ड, प्राप्त हुई किसी या सभी निविदाओं को उसके लिए कोई कारण बताए बिना स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है और इस संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
9. बोलीदाता से अपेक्षित है कि वह संलग्न प्रारूप में अपना पूर्ण प्रोफाइल प्रस्तुत करे जिसमें संगठन, अनुभव, संगठन में तकनीकी कर्मियों की संख्या, सक्षमता और उसकी वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता आदि के पर्याप्त सबूत प्रदान किए गए हों, जिन्हें गोपनीय रखा जाएगा।
10. निविदा प्रक्रिया में मात्र भागीदारी करने से कोई भी संविदात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।
11. मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बोलीदाता की ओर से किए गए किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।
12. स्पाइसेस बोर्ड डक में विलंब या बीच में या छुट्टियां पड़ जाने सहित किसी भी कारण से निर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर निविदाएं प्राप्त न हो पाने के लिए जिम्मेदार नहीं है।
13. स्पाइसेस बोर्ड, निविदा प्रक्रिया के दौरान या पैनल तैयार कर लिए जाने के बाद या कार्य

प्रदान कर दिए जाने के बाद किसी भी समय निविदा में, जहां उसकी सामग्री गलत, अनुचित या अनुपयुक्त प्रतीत होती है, प्रदान की गई जानकारी की वैधता का सत्यापन करने और किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

14. यह माना जाता है कि बोलीदाता ने :

क) शीघ्र प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए निविदा दस्तावेज और उसके पश्चातवर्ती परिवर्तनों/शुद्धिपत्र, यदि कोई है, की जांच कर ली है।

ख) उन सभी परिस्थितियों और आकस्मिकताओं की जांच कर ली है, जिनका उनके निविदा आवेदन पर प्रभाव पड़ता है और जिसे युक्तियुक्त पूछताछ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा उनके निविदा आवेदनों की सटीकता और पर्याप्तता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है और यदि निविदा में कोई विसंगति, त्रुटि या चूक देखी गई है, तो बोलीदाता अंतिम तारीख/समय को या उससे पूर्व स्पाइसेस बोर्ड को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा।

15. बोलीदाता निविदा प्रस्तुत करने/ स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अपेक्षित प्रस्तुतीकरण आदि से संबंधित सभी लागतों का वहन करेगा। प्रक्रिया के संचालन या परिणाम को ध्यान में न रखते हुए, स्पाइसेस बोर्ड उस संबंध में किसी भी लागत के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

16. बोलीदाताओं को निविदा आवेदन में दी गई सूचना के किसी भी तात्त्विक परिवर्तन की सूचना लिखित रूप में तुरंत देनी चाहिए, जिसमें उनके स्वामित्व या उनकी वित्तीय या तकनीकी हैसियत में हुआ कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी शामिल है। प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

17. शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाता, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा उनकी फर्म को शॉर्टलिस्ट किए /चुने जाने के बारे में किसी भी रूप में (स्पाइसेस बोर्ड से पूर्व लिखित अनुमति के बिना) इसका तथ्य का विज्ञापन/प्रचार नहीं करेंगे।

18. प्रस्तुत बोलियों का मूल्यांकन मौजूदा सूचना और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों पर आधारित होगा। तकनीकी रूप से अर्हक बोलीदाताओं का चयन क्यूसीबीएस प्रणाली के तहत किया जाएगा। वित्तीय बोली का मूल्यांकन केवल तकनीकी रूप से अर्हक बोलीदाताओं के लिए ही किया जाएगा।

19. बोलीदाता को स्पाइसेस बोर्ड को सभी आवश्यक कार्यात्मक और तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए सहमत होना चाहिए।

20. स्पाइसेस बोर्ड इस निविदा की किसी भी शर्त की पुनः समीक्षा कर सकता है।

21. स्पाइसेस बोर्ड को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार होगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित बोलीदाताओं पर कोई देनदारियां उपगत नहीं की जाएंगी। रद्द करने के कारणों, जैसा कि स्पाइसेस बोर्ड द्वारा उसके विवेकाधिकार से निर्धारित किया गया है, में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

क. विचार की गई सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है

ख. अप्रत्याशित परिस्थितियों और/या कारकों और/या नए घटनाक्रमों के कारण कार्य की व्याप्ति पर्याप्त रूप से या स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई है।

ग. परियोजना स्पाइसेस बोर्ड के सर्वोत्तम हित में नहीं है।

घ. कोई अन्य कारण।

## **12. अस्वीकरण**

स्पाइसेस बोर्ड उन बोलीदाताओं के प्रति संविदात्मक या किसी अन्य तरीके से प्रतिबद्ध नहीं है, जिनके आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इस निविदा का मुद्दा स्पाइसेस बोर्ड को प्रक्रिया के किसी भी भाग या चरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध या अन्यथा बाध्य नहीं करता है। इसके विपरीत किसी अन्य विधि के अध्यक्षीन और विधि द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, स्पाइसेस बोर्ड और उसके कर्मचारी सूचना का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के कारण उपगत अथवा उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या क्षति, लागत या व्यय से सभी देनदारियों (लापरवाही के कारण हुई देयता सहित) को अस्वीकार करते हैं चाहे वह इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी में किसी त्रुटि, चूक या गलत निरूपण के कारण कारित हुई हो अथवा निविदा दस्तावेज़ के लिए इस अनुरोध में निहित किसी जानकारी अथवा उसके आनुषंगिक आचरण के कारण कार्य कर रहे अथवा कार्य करने से बच रहे किसी व्यक्ति को हुई हो चाहे वह नुकसान या क्षति स्पाइसेस बोर्ड या उसके किसी अधिकारी की ओर से किसी चूक, भूल, सतर्कता में कमी या मिथ्या निरूपण के संबंध में उत्पन्न होती है या नहीं।

## **13. निविदा की महत्वपूर्ण तिथियाँ**

क्रम सं.	विवरण	तारीख	समय
1	निविदा दस्तावेज़ का ऑनलाइन प्रकाशन / डाउनलोड करने की तिथि	15-03-2021	सायं 03.30 बजे
2	बोली प्रस्तुति प्रारंभ होने की तारीख	15-03-2021	सायं 4.00 बजे
3	बोली प्रस्तुति समाप्त होने की तारीख	05-04-2021	सायं 5.00 बजे
4	मूल ईएमडी की प्रस्तुति की अंतिम तारीख व समय	09-04-2021	सायं 5.00 बजे
5	तकनीकी बोलियों को खोलना	12-04-2021	सुबह 11.00 बजे

तकनीकी बोली

		विवरण
1	नाम	
2	स्थापना वर्ष	
3	निगमीकरण का स्थान	
4	पंजीकृत कार्यालय का पता	
5	केरल के कार्यालय का पता	
6	केरल के बाहर स्थित शाखाओं/सहयोगियों (यदि कोई है तो) का विवरण	
7	कंपनी का विवरण : (दल के सदस्यों/पूर्णकालिक कर्मचारियों का संक्षिप्त विवरण शामिल करें): (विस्तृत विवरण संलग्न करें)	
8	बोलीदाता का कानूनी स्थिति (स्वामी/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड)	
9	जीएसटी रजिस्ट्रीकरण (प्रति संलग्न करें)	
10	पैन (प्रति संलग्न करें)	
11	एजेंसी के सीईओ/प्रमुख का संपर्क विवरण : (नाम, पता, फोन, इ-मेल, मोबाइल)	
12	कार्य अनुभव (सरकारी/मंत्रालय/पीएसयू ग्राहक का विवरण प्रदान करें)	
13	इस क्षेत्र में अनुभाग (खाद्य उद्योग में ग्राहकों को संभालने के अनुभव का विवरण प्रदान करें)	
14	टर्न ओवर : (समर्थक दस्तावेज़ संलग्न करें)	

हस्ताक्षर व नाम (मोहर सहित)



वित्तीय बोली

सेवा में,  
स्पाइसेस बोर्ड  
सुगंध भवनपीबी नं.2277  
पालारिवट्टम पीओ  
एरणाकुलम -682025

महोदय,

मैं एतदद्वारा मीडिया और पीआर कंसल्टेंसी एजेंसी के चयन और बोली दस्तावेज में परिकल्पित गतिविधियों के लिए वित्तीय बोली प्रस्तुत करता हूं। मैंने बोली दस्तावेज में निहित सभी निबंधन व शर्तों को अच्छी तरह से जांच और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

मैं, ..... रुपये, लागू जीएसटी के साथ, मासिक प्रतिधारक शुल्क के लिए बोली दस्तावेज में उल्लिखित कार्य की गुंजाइश के अनुसार प्रदेयताओं को पूरा करने की पेशकश करता हूं

भवदीय,

(प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

पूरा नाम :

पदनाम :

एजेंसी का नाम व पता :

मोहर :

तारीख :

स्थान :

**घोषणा**

मैं/हम (नाम) ----- (पदनाम) -----  
एतदद्वारा दृढ़तापूर्वक पुष्टि और घोषणा करता हूं/करते हैं कि व्यक्ति/फर्म/कंपनी किसी भी किसी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/निजी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई है। इसके अलावा, किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/निजी संगठन या न्यायालय द्वारा इसके विरुद्ध कोई मुकदमेबाजी/जांच लंबित नहीं है और/या शुरू की गई है।

मैंने/हमने (नाम) ----- (पदनाम)-----  
(कंपनी का नाम)----- स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के लिए जनसंपर्क और मीडिया सेवाएं प्रदान करने के लिए जनसंपर्क एजेंसी के चयन के लिए निविदा के निबंधन और शर्तें पढ़ ली हैं और उन्हें समझ लिया है तथा मैं/हम उन्हें एतदद्वारा स्वीकार करता हूं/करते हैं।

(प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

पूरा नाम :

पदनाम:

एजेंसी का नाम और पता :

मुहर:

स्थान :

तारीख:

<p>1.</p>	<p><b>इ-निविदा प्रक्रिया</b></p> <p>अ) इस प्रक्रिया में मुफ्त एम एस टी सी इ-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का रजिस्ट्रीकरण शामिल है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही, विक्रेता अपनी बोली इलेक्ट्रॉनिकी तौर पर प्रस्तुत कर सकता है। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य-बोली प्रस्तुत करने के लिए इन्टरनेट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग किया जाएगा। विक्रेता को श्रेणी III साइनिंग टाइप डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए। विक्रेता द्वारा इन्टरनेट सहित पी सी से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं की जानी है। एम एस टी सी/स्पाइसेस बोर्ड ऐसी व्यवस्था करने के जिम्मेदार नहीं रहेंगे।(बिना डिजिटल हस्ताक्षर के, बोलियों को दर्ज नहीं किया जाएगा।)</p> <p><b>विशेष टिप्पणी :</b> मूल्य-बोली और वाणिज्यिक-बोली ऑन-लाइन द्वारा <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprohome/spiceb/buyer_login.jsp">http://www. mstcecommerce.com/eprohome/spiceb/buyer_login.jsp</a> को प्रस्तुत की जानी है।</p> <p>i) विक्रेताओं को स्वयं <a href="http://www.mstcecommerce.com">www. mstcecommerce.com</a>→ e-Procurement→ PSU/ Govtdepts.→ SpicesBoard → Register as Vendor Filling up details and creating own user id and password→ Submit से ऑनलाइन रजिस्टर करना अपेक्षित है।</p> <p>ii) विक्रेता को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय उनके द्वारा दिए गए इ-मेल में अपने रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि के साथ सिस्टम जनरेटड मेल मिल जाएगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एम एस टी सी/स्पाइसेस बोर्ड से संपर्क करें (इ-निविदा के लिए निर्धारित समय से पूर्व)।</p> <p><b>संपर्क व्यक्ति(एम एस टी सी)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>श्री अर्णब सरकार - मोब: 9986036012 asarkar@mstcindia.co.in</li> <li>श्री रवीन्द्रनाथ - मोब: 7676456095 ravindranathkb@mstcindia.co.in</li> </ol> <p><b>ख) सिस्टम अपेक्षा:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>विंडोज़ 98/एक्स पी-एस पी 3 व उससे बेहतरीन / विंडोज़ 7 ओपरेटिंग सिस्टम</li> <li>आईई - 7 और उससे बेहतरीन इन्टरनेट ब्राउसर</li> <li>हस्ताक्षर करने युक्त डिजिटल सिग्नेचर(क्लास-3)</li> <li>प्रणाली में जेआरई 8 का 171 अपडेट और उससे बेहतरीन सॉफ्टवेयर का डाउनलोड और इंस्टाल किया जाना है। सभी X कंट्रोल को सक्रिय करने और निष्क्रिय करने के लिए Tools-internet Options-Custome Level में 'पॉप अप ब्लॉकर' का प्रयोग करें।</li> </ol>
<p>2.</p>	<p>2. (क) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भाग- I एन आई टी में दिए अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर खोली जाएगी। बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक तौर</p>

पर बोली का खोलना देख सकते हैं।

(ख) मूल्य-बोली,भाग। इलेक्ट्रॉनिक तौर पर केवल उन बोलीदाताओं के लिए खोली जाएगी, जिनकी तकनीकी- वाणिज्यिक बोली भाग। स्पाइसेस बोर्ड द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक तौर पर स्वीकार्य पाई जाती है। ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा पुष्ट वैध इ-मेइल के ज़रिए भाग। मूल्य बोली को खोलने की तारीख सूचित की जाएगी।

**नोट:**

बोलीदाताओं को अपनी अधिकतम संभाव्य दर बताने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः इस पर कोई परक्रामण नहीं होगा, अतः मूल्य-बोली प्रस्तुत करते समय कृपया अपना सबसे प्रतियोगी मूल्य प्रस्तुत करें। फिर भी, वर्तमान विपणी- स्थितियों पर विचार करते हुए यदि न्यूनतम दर संगत पाई जाती है तो, न्यूनतम बोलीदाता को आदेश जारी किया जाएगा और उसके बाद भी दर उच्च मानी जाती है, वर्तमान अनुदेश / मार्ग-निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

3 निविदा की सभी प्रविष्टियों की, बिना किसी अस्पष्टता के ऑन-लाइन तकनीकी व वाणिज्यिक फॉर्मेट में प्रविष्टि की जानी चाहिए।

4 **लेनदेन शुल्क संबंधी विशेष टिप्पणी :** विक्रेता वेंडर लॉग-इन के "My Menu" के अंतर्गत "Transaction Fee Payment" लिंक का प्रयोग करके लेनदेन-शुल्क का भुगतान करेगा। विक्रेता को Event dropdown box से नियत निविदा का चयन करना पड़ता है। विक्रेता को या तो एन ई एफ टी द्वारा नहीं तो ऑनलाइन भुगतान द्वारा भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है। एन ई एफ टी का चयन किया जाता है तो विक्रेता एक फॉर्म भरकर एक चालान तैयार करेगा। विक्रेता लेनदेन-शुल्क की राशि का भुगतान चालान में कोई परिवर्तन किए बिना, उसमें छपे विवरणों के अनुसार करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता को अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एम एस टी सी के नामित बैंक खाते में भुगतान के एक बार जमा होने पर लेनदेन-शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को सिस्टम जनित मेइल प्राप्त होगा।

**लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय है**

लेनदेन-शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता ऑनलाइन इ-निविदा नहीं प्राप्त कर सकता है।

**नोट:** विक्रेताओं को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व बहुत पहले ही लेनदेन-शुल्क का भुगतान करना चाहिए, जैसे कि एम एस टी सी द्वारा लेनदेन-शुल्क की प्राप्ति के बाद ही बोली प्रस्तुत करने के लिए उनको सक्रिय किया जाएगा।

**संपर्क :** फ़ैक्स नं : 033-22831002

इ-मेइल आई डी : [rpradhan@mstcindia.co.in](mailto:rpradhan@mstcindia.co.in)

	<p>बोलीदाता यह नोट करें कि लेनदेन-शुल्क बोलीदाता के खाते से उनके नामे जमा किया जाना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या उसके खाते से उसके नामे जमा किया गया लेनदेन-शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय है।</p> <p>यदि किसी कारणवश लेनदेन-शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में, विक्रेता उस अवधि में, ऑनलाइन इ-निविदा प्राप्त नहीं कर पाएगा।</p>
5	<p>विक्रेताओं को डोक्यूमेंट लाइब्ररी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए <b>My Menu</b> के <b>Upload Documents</b> लिंक का इस्तेमाल करने का अनुदेश दिया जाता है। एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड किया जा सकता है। अपलोड करने हेतु एकल दस्तावेज़ का अधिकतम साइज़ 4 एम बी है।</p> <p>एक बार लाइब्ररी में दस्तावेज़ों को अपलोड किए जाने पर विक्रेताओं को नियत निविदा में <b>Attach Document</b> के ज़रिए दस्तावेज़ों को जोड़ना चाहिए। आगे सहायता के लिए <b>वेंडर गाइड</b> के अनुदेश देखें।</p>
6	<p>स्पाइसेस बोर्ड तथा एम एस टी सी (इ-प्रोक्यूरमेंट सर्विस प्रोवाइडर) द्वारा निविदा पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक की प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता(ओं) के लिए सभी सूचना और पत्राचार केवल इ-मेइल द्वारा भेजे जाएंगे। अतः बोलीदाताओं द्वारा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि उनको दी गई कॉर्पोरेट इ-मेइल आई डी वैध है और एम एस टी सी (अर्थात् सर्विस प्रोवाइडर) के साथ विक्रेता के रजिस्ट्रीकरण के समय उसे अद्यतन बनाया जाता है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डी एस सी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।</p>
7	<p>(i) कृपया नोट करें कि एन आई टी में बताए वेबसाइट से निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करने वालों की सूची लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर वेबसाइट देखें कि निविदा दस्तावेज़ को डाउनलोड किए जाने के बाद उक्त निविदा के संदर्भ में कोई शुद्धिपत्र अपलोड किया गया है तो वह चूक नहीं गया है। <b>संबंधित शुद्धिपत्र यदि कोई है तो उसे डाउनलोड करने का दायित्व डाउनलोड करनेवालों का रहेगा।</b></p> <p>(ii) इस एन आई टी के किसी शुद्धिपत्र (यदि कोई है) के बारे में कोई अलग सूचना उन बोलीदाता(ओं) को नहीं भेजी जाएगी, जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज़ों को डाउनलोड किया है। कृपया एम एस टी सी लिमिटेड का वेबसाइट <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb">http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb</a> देखें।</p>
8	<p>एन आई टी में बताई नियत तारीख और समय के बाद इ-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।</p>
9	<p><b>इ-निविदा में बोली लगाना और प्रतिवर्ती नीलामी</b></p>

क) इ-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के पात्र बन जाने के लिए बोलीदाता द्वारा अपेक्षित ई एम डी, निविदा शुल्क (यदि कोई है तो) और लेनदेन- शुल्क प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निविदा-शुल्क और लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय हैं। ई एम डी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता(ओं) को उनकी ई एम डी की प्रतिपूर्ति स्पाइसेस बोर्ड द्वारा की जाएगी। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची को ई एम डी वस्तुगत रूप में भेज दी जानी चाहिए।

ख) इस प्रक्रिया में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य-बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।

इ) उपरोक्त शुल्क प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता ही एम एस टी सी वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) → e-procurement → PSU/Govt Depts → Spices board Login → My menu → Auction Floor Manager → live event → Selection of the live event → मैं इन्टरनेट के ज़रिए अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियाँ और मूल्य-बोलियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग) बोलीदाता द्वारा जोखिम उठाते हुए और *on run* क्लिक करके *enApple* नामक एप्लिकेशन को चालू होने दिया जाना चाहिए। *Techno-Commercial bid* पर क्लिक करने के तुरंत बाद लगातार दो बार ऐसा करना चाहिए। यदि एप्लिकेशन चालू नहीं है तो बोलीदाता अपनी बोली "*save/submit*" नहीं कर पाएगा।

घ) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए "*Save*" क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने पर, *price bid* लिंक सक्रिय बन जाता है और उसे भर देना चाहिए और तदुपरान्त बोलीदाता को अपनी मूल्य-बोली दर्ज करने के लिए "*Save*" क्लिक करना चाहिए। इस प्रकार एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली व मूल्य-बोली *save* हो जाती हैं, बोलीदाता अपनी बोली रजिस्टर करने के लिए "*submit*" बटन क्लिक कर सकता है।

ड.) सभी मामलों में, अपनी बोली प्रस्तुत करते समय बोलीदाता द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपनी आई डी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

च) पूरी इ-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक दूसरे के लिए और हर किसी के लिए भी पूर्णतः अज्ञात रहेंगे।

छ) इ-निविदा सुविधा इस के लिए पूर्व-घोषित तारीख व समय से और ऊपर बताए अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी।

ज) इ-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी रहेंगी। कोई भी बोली बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली मानी जाएगी और क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति आपूर्ति के लिए क्रेता और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी ठेका बनेगी। ऐसे सफल निविदाकार को आगे **आपूर्तिकर्ता** कहा जाएगा।

झ) सभी बोलियाँ अनिवार्यतः डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जानी हैं अन्यथा सिस्टम द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

	<p>ज) क्रेता निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से, जैसे भी हो, उसका कोई कारण बताए, रद्द या निरस्त या स्वीकार या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार रखता है।</p> <p>ट) निविदा-दस्तावेज़ के निबंधनों व शर्तों से कोई विचलन अनुमत नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा इ-निविदा सुविधा में बोली की प्रस्तुति निविदा के निबंधनों व शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करती है।</p> <p>ठ) मापन-यूनिट[ यू ओ एम] इ-निविदा सुविधा में सूचित है। इ-निविदा सुविधा/ निविदा दस्तावेज़ में सूचित यू ओ एम के अनुसार, कोट की जाने की दर भारतीय रुपए में होनी चाहिए।</p>
10	इस मुक्त इ-निविदा के सिलसिले में जारी कोई आदेश उसमें बताए निबंधनों व शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगा।
11	तकनीकी व वाणिज्यिक निबंधनों व शर्तों से विचलन अनुमत नहीं है।
12	ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने और एक बार डिजिटल सिग्नेचर के साथ यह प्रस्तुत की गई है, उसके बाद बोलीदाता निविदा प्राप्त नहीं कर सकता।
13	स्पाइसेस बोर्ड , कोच्ची बिना कोई कारण बताए इस इ-निविदा को रद्द करने या बोली(यों) को स्वीकार करने की तारीख बढ़ाने का अधिकार रखता है।
14	ऑनलाइन निविदा एम एस टी सी लिमिटेड के वेबसाइट <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb">http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb</a> में वास्तव में दिए गए निबंधनों व शर्तों व कार्य-विधि के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।
15	बोलीदाता अनिवार्यतः एन आई टी के निबंधनों के अनुसार सभी दस्तावेज़ों को अपलोड या संलग्न करें। अन्य किसी भी दस्तावेज़ अपलोड किया गया है, जो एन आई टी के निबंधनों के अनुसार अपेक्षित नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
16	बोली का मूल्यांकन भरी हुई तकनीकी एवं वाणिज्यिक फॉर्मों के आधार पर किया जाएगा ।
17	बोलीदाता(ओं) द्वारा अपलोड व संलग्न किए गए दस्तावेज़ों की संवीक्षा की जाएगी। संवीक्षा के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत पाए जाने के मामले में, चूककर्त्ता बोलीदाता(ओं) की ई एम डी जब्त कर दी जाएगी। चूककर्त्ता बोलीदाता(ओं) के खिलाफ निलंबन या कारबार से रोक जैसी दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
18	एम एस टी सी के इ-प्रोक्यूरमेंट मार्ग-निर्देशों के लिए विक्रेता नीचे दिए लिंक के पीडीएफ दस्तावेज़ देख सकते हैं: <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/UserManualVendor.pdf">http://www.mstcecommerce.com/eprochome/UserManualVendor.pdf</a>